रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2018, शनिवार/ पौष 2—पौष 8, 1940
No. 32] NEW DELHI, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2018, SATURDAY/ PAUSHA 2—PAUSHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.नि.आ. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' (अनुसचिवीय पद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति —

	Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - **Member.** **IV. Electronics Discipline** Controllerate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore - **Chairman;** (2) A Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore - **Member;** (3) A Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Pune - **Member.** **V. Engineering Equipment Discipline** Controllerate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - **Chairman;** (2) A Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - **Member;** (3) A Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune - **Member.** **VI. Stores Discipline** Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur - **Chairman;** (2) A Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur - **Member;** (3) A Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Materials), Kanpur - **Member.**	

[F. No.A/86320/RR/NI/Gp'C'/2018/DGQA/Adm-10/ 1037 /D(QA)/2018]
R RAJENDAR GOUD, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2018

का.नि.आ. 144.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासनमहानिदेशालय (समूह 'ग' पद) अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (फेरोप्रिंटर श्रेणी–I, फेरोप्रिंटर श्रेणी-II और फेरोप्रिंटर श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गुणता आश्वासनमहानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग में फेरोप्रिंटर श्रेणी-I, फेरोप्रिंटर श्रेणी-II और फेरोप्रिंटर श्रेणी-III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (फेरोप्रिंटर श्रेणी-I, फेरोप्रिंटर श्रेणी-II और फेरोप्रिंटर श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2018 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति**.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. फेरो प्रिंटर श्रेणी -I	09*(2018) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500-81100 रू)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 के ऐसे फेरोप्रिंटर श्रेणी – II जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे फेरोप्रिंटर श्रेणी – II जिन्होंने फेरोप्रिंटर श्रेणी –II और फेरोप्रिंटर श्रेणी – III (वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 18000-56900) की श्रेणी में ग्यारह वर्ष सम्मिलित सेवा की है। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- **I. आयुध विद्याशाखा** गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून 1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून - अध्यक्ष

2. समूह ‘क’ अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून	- सदस्य
3. समूह ‘क’ अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय	- सदस्य
II. <u>भंडार विद्याशाखा</u>	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुरः	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर	- अध्यक्ष
2. समूह ‘क’ अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर	- सदस्य
3. समूह ‘क’ अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय	- सदस्य
III. <u>यान विद्याशाखा</u>	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगरः	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर	- अध्यक्ष
2. समूह ‘क’ अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर	- सदस्य
3. समूह ‘क’ अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय	- सदस्य
IV. <u>इलैक्ट्रोनिक विद्याशाखा</u>	
गुणता आश्वासननियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक), बंगलुरुः	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक), बंगलुरु	- अध्यक्ष
2. समूह ‘क’ अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक), बंगलुरु	- सदस्य
3. समूह ‘क’ अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय	- सदस्य
V. <u>इंजीनियरिंग उपस्कर विद्याशाखा</u>	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणेः	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे	-अध्यक्ष
2. समूह ‘क’ अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे	- सदस्य
3. समूह ‘क’ अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय	- सदस्य
VI. <u>धातु और सैन्य विस्फोटक विद्याशाखा</u>	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणेः	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे	- अध्यक्ष
2. समूह ‘क’ अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे	- सदस्य
3. समूह ‘क’ अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय	- सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. फेरोप्रिंटर श्रेणी-II	18* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ग’ , अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रू)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900) में ऐसे फेरो प्रिंटर श्रेणी-III जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चत उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो ।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

I. आयुध विद्याशाखा

गुणता आश्वासननियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून

1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून - अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून - सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय- सदस्य

II. भंडार विद्याशाखा

गुणता आश्वासननियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुरः

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर - अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर - सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य

III. यान विद्याशाखा

गुणता आश्वासननियंत्रणालय (यान), अहमदनगरः

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय- सदस्य

IV. इलैक्ट्रोनिक विद्याशाखा

गुणता आश्वासननियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक), बंगलुरुः

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक), बंगलुरु - अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक), बंगलुरु - सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य

V. इंजीनियरिंग उपस्कर विद्याशाखा

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणेः

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे - अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे - सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासनमहानिदेशालय - सदस्य

VI. धातु और सैन्य विस्फोटक विद्याशाखा

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणेः

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे - अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे - सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासनिक निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य

(13)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. फेरोप्रिंटर श्रेणी- III	35* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' ,अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900 रू)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की आयु तक की जा सकती है)। **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)
आवश्यक: (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10 वीं पास) या समतुल्य अर्हता। **वाछनीयः** किसी मान्यताप्राप्त संगठन से फेरोप्रिंटर कार्य/क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव**।** **टिप्पण 1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. स्थापन का प्रमुख - अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. स्टेशन या उसके नजदीकी स्टेशन में अवस्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अन्य स्थापन से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं./ए/86320/आर.आर/फेरो प्रिंटर/डीजीक्यूए/प्रशा-10/ 1012 /डी(क्यू.ए)/2018]

आर राजेन्दर गौड़, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October,2018

S.R.O. 144.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts (Ferro Printer Grade-I, Ferro Printer Grade-II and Ferro Printer Grade-III) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Ferro Printer Grade-I, Ferro Printer Grade–II and Ferro Printer Grade–III, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts (Ferro Printer Grade-I, Ferro Printer Grade-II and Ferro Printer Grade-III) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix .— The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns(5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Ferro Printer Grade – I.	09* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment:- whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: From Ferro Printer Grade-II in the level 2 (Rs. 19900-63200) in pay matrix with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, failing which Ferro Printer Grade-II having combined service of eleven years in the grade of Ferro Printer Grade-II and Ferro Printer Grade-III [level 1(Rs. 18000-56900) in pay matrix]'. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- **I. Armament Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Instruments, Dehradun (1) Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun - **Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member .** **II. Stores Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothings), Kanpur: (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothings), Kanpur - **Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothings), Kanpur **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member.** **III. Vehicles Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar: (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member.** **IV. Electronics Discipline:**	Not applicable.

Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore: (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member** . **V. Engineering Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance ((Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member.** **VI. Metals and Military Explosives Discipline** Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member**.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Ferro Printer Grade – II.	18* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200)	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)
Promotion: From Ferro Printer Grade-III in level 1(Rs. 18000-56900) in pay matrix with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.' **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- **I. Armament Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Instruments, Dehradun (1) Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun - **Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member .** **II. Stores Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothings), Kanpur: (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothings), Kanpur - **Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothings), Kanpur **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member.** **III. Vehicles Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar: (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member.** **IV. Electronics Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore: (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member** . **V. Engineering Discipline:** Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance ((Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member.**	Not applicable.

VI. Metals and Military Explosives Discipline: Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune : (1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune **- Chairman;** (2) Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune **- Member;** (3) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance **- Member**.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Ferro Printer Grade – III.	35* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mixoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

(7)
Essential : Matriculation (10th Class Pass) or equivalent qualification from any recognized Board. Desirable : One year experience in Ferro Printing Job/field from recognised organisation. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.

(for considering confirmation) consisting of :- (1) Head of the establishment - **Chairman;** (2) Group 'A' officer of the concerned establishment - **Member;** (3) Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby - **Member**.	

[F. No.A/86320/RR/Ferro Printer/DGQA/Adm-10/1012 /D(QA) /2018]

R RAJENDAR GOUD, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि .145 .**--**राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, उच्च प्रौद्योगिकी जलयान प्रोग्राम (सिविलियन मैकेनिकल ट्रान्सपोर्ट ड्राइवर) भर्ती नियम, 1999, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, उच्च प्रौद्योगिकी जलयान प्रोग्राम में सिविलियन मैकेनिकल ट्रान्सपोर्ट ड्राइवर पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, उच्च प्रौद्योगिकी जलयान प्रोग्राम, सिविलियन मैकेनिकल ट्रान्सपोर्ट ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** -—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**-—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**-—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	श्रेणीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
3. सिविलियन मैकेनिकल	23* (2018) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	स्तर-2 (19900 - 63200रू)	लागू नहीं	18 और 27 वर्षों के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी